आवश्यक

संख्या:69/2020/2327/12-2-2020-60(82)/2018

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

विषय: प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) से आच्छादित करने हेतु तैयार Application Software का उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:/2020/2245/12-2-2020-60(82)/2018 दिनांक 28 नवम्बर, 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र सुगमता से आनलाइन पद्धति से प्रेषित करने हेतु विभाग द्वारा विकसित साफ्टवेयर मो मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को किसान सम्मान दिवस के अवसर पर लोकार्पित कर दिया गया है। Software के साथ मोबाइल ऐप को भी लोकार्पित किया गया है जिसे गूगल प्ले स्टोर पर UPPMKISANKCC टाईप करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है।

Software में ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों की एक ही IFSC होने के कारण उनकी लॉग-इन सृजित करने के लिए बैंक का नाम और बैंक शाखा को भी उप कृषि निदेशक के लॉग-इन पर प्रदर्शित कराया जा रहा है ताकि प्रत्येक ग्रामीण बैंक तथा शाखा के किसानों का आवेदन पत्र उन तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑन-लाइन पहुंच सके।

3. अतएव मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा लोकार्पित किए गए upagriculture.com पर उक्त Application Software तथा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:69/2020/2327(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 11-विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को सभी वित्तीय संस्थाओं को प्रेषित करने हेतु।
12. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

राधेश्याम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।